संख्या-259/2026/I/1483082/2026/23-11099(099)/155/2026

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
बडौदा हाउस नई दिल्ली।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 01-10-2026**

विषय:- उत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 04 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-I/761525/2026-PWD-BDD30ESTM/559/2026-BDD3, दिनांक 02-09-2026, पत्र संख्या-I/761529/2026-PWD-BDD30ESTM/560/2026-BDD3, दिनांक 02-09-2026, पत्र संख्या-I/761028/2026-PWD-BDD60ESTM/356/2026-BDD6, दिनांक 01-09-2026 एवं पत्र संख्या-I/763617/2026-PWD-BDD60ESTM/364/2026-BDD6, दिनांक 02-09-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 04 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधोलिखित तालिका में अंकित उत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 04 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/कार्य का नाम	टी0वी0यू0	अनुमानित लागत
1	जनपद अयोध्या में एन0एच0-27 से (राजकीय महिला पॉलीटेक्निक कॉलेज) होते हुए अयोध्या रिंग रोड चैनेज 0.75 पर सम्पार संख्या-124स्पशेल (बनवीरपुर) पर 04 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	107652	16356.14
2	जनपद जौनपुर में खेतसराय से दीदारगंज मार्ग पर सम्पार संख्या-55स्पेशल पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	174228	9551.07
3	जनपद बागपत में बड़ौत-अमीनगर सराय सड़क मार्ग पर दिल्ली-शाहदरा-टपरी सेक्शन के सम्पार सं0-47 (निकट बड़ौत रेलवे स्टेशन) कि0मी0 47/4-5 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	149043	5375.72
4	जनपद सहारनपुर में सहारनपुर-दिल्ली-यमुनौत्री(एस0एच0-57) मार्ग पर दिल्ली-शाहदरा-शामली-टपरी रेल सेक्शन के किमी0-141/23-24 के सम्पार संख्या-135 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	170354	5887.27

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रश्नगत उपरिगामी सेतु का निर्माण हो जाने के पश्चात उसे यातायात के लिये खोल दिये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा क्लोजर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(2) पहुँच मार्ग के लिये भूमि अध्यासि के सम्बन्ध में मूल प्रस्ताव रेलवे व राज्य सरकार से स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही कार्यवाही सम्भव होगी। राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है।

(3) प्लान डिजाइन तथा आगणन जो सेतु तथा पहुँच मार्गो के सम्बन्ध में होंगे उन पर दोनों पक्षों की सहमति होगी तथा उभय पक्षों द्वारा उन्हें अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार अपने हिस्से का अंशदान देने के लिये सहमत है। स्थल चयन रेलवे तथा उ0प्र0 राज्य सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(5) स्थल विवरण अग्रिम रूप से तय किये जायेंगे तथा उस पर दोनों पक्षों की सहमति होगी। राज्य सरकार को इस पर कोई अपत्ति नहीं है।

(6) उपरिगामी सेतु का पहुँच मार्ग पुल के निर्माण के साथ ही किया जायेगा।

(7) रेल विभाग के रेलवे इंजीनियरिंग कोड के पैरा-732(ई) के अनुसार प्रस्ताव अस्वीकार हो जाने के दशा में प्लान तथा आगणन बनाये जाने का व्यय देने में प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

(8) रेल उपरिगामी सेतु एवं उसके पहुँच मार्ग के निर्माण की अवधि में बिना किसी व्यवधान के यातायात व्यवस्था बदलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सहमत है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर रेलवे क्षेत्रान्तर्गत आने वाले 04 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण कार्य को रेलवे वर्क्स प्रोग्राम में सम्मिलित करने, लागत में सहभागिता एवं 08 बिन्दुओं पर राज्य की सहमति के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त सम्पार पर रेल उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणनो की एक प्रति संलग्न है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सदस्य (इंजीनियरिंग)/रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रेल मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके लागत सहभागिता के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in